79

संख्या– 270/XX-1–2014–4(38)2012

प्रेषक,

विक्रम सिंह यादव
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः 05 जनवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुलिस आवासीय कालोनी किशनपुर एवं कण्डोली, जनपद देहरादून में नलकूप निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–डीजी–दो–28–2012(3) दिनांक 16.11.2013 तथा शासनादेश संख्या–909/XX(1)–2013–4(38)2012, दिनांकः 28–03–2013, जिसके द्वारा पुलिस आवासीय कालोनी किशनपुर एवं कण्डोली, जनपद देहरादून में नलकूप निर्माण हेतु रुपये 54.21 लाख की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रूपये 46.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त चालू निर्माण कार्य हेतु संस्तुत लागत के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि रूपये 7.84 लाख व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम(विद्युत इकाई), देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित करते हुए कार्य को 15 मार्च, 2014 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराते हुए कार्य की शत–प्रतिशत प्रगति आख्या एवं उपयोगित प्रमाण–पत्र शासन को उलपब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य में प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए उक्त को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में पुनः आगणन पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले।निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– सामग्री क्रय व निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–10 के लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय–00–211–पुलिस आवास सं –00–आयोजनागत –03 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य)–00– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 284/XXVII(1)/2013 दिनांकः 30.03.2013 तथा शासनादेश संख्याः 413/XXVII(1)/2013 दिनांकः 10.06.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव,

संख्या– 270(1)/XX-1–2014–4(38)2012 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम(विद्युत इकाई), देहरादून।
8– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Home (S019)

संख्या - 270/xx-1/14-4(38)2012

अलोटमेंट आई डी - S1402100027

/ख्या - 010

आवंटन पत्र दिनांक ~05-Feb-2014

HOD Name - Director General Police (2533)

(खा शीर्षक	4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	00 -
	211 - पुलिस आवास .	03 - पुलिस विभाग के आवासीय /अनावासीय भवनों के न
	00 - पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	28485000	784000	29269000
	28485000	**784000**	**29269000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 784000